सरकारी सेक्टर के लिए

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न–1: पीएफआरडीए की भूमिका क्या है?

उत्तरः वृद्धावस्था आय सुरक्षा हेतु पेंशन निधि को स्थापित, नियमित तथा विकसित करने के उद्देश्य से पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पीएफआरडीए प्राधिकरण की स्थापना की गई ताकि पेंशन निधि योजनाओं से संबंधित तथा उसके बाद की आकस्मिक घटनाओं के संबंध में अभिदाताओं के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

प्रश्न–2: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है ?

उत्तरः राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से अभिप्राय ऐसी अंशदायी पेंशन प्रणाली से है जहां विनियमों में वर्णित प्वाईंट्स ऑफ प्रजेन्स, केन्द्रीय रिकॉर्ड कीपींग संस्था ,एवं पेंशन निधि की प्रणाली का उपयोग करते हुए अभिदाताओं से प्राप्त अंशदान को व्यक्तिगत पेंशन खाता जिसे प्रान कहा जात है, में संचित किया जाता है।

केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (वित्तीय मामलों के विभाग) कार्यालय ज्ञापन सं0 5/7/2003–पी.आर. दिनांक 22/12/2003 के द्वारा मौजूदा परिभाषित पेंशन लाभ के स्थान पर परिभाषित अंशदान पर आधारित पेंशन प्रणाली की शुरूआत की जिसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के रूप में जाना जाता है।

प्रश्न–3: एन.पी.एस. के अंतर्गत कौन–कौन लाभान्वित है ?

उत्तरः एन.पी.एस., केन्द्रीय स्वशासी निकायों सहित केन्द्र सरकार के सभी कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर), जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 अथवा उसके बाद हुई है, पर लागू होता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने एन. पी.एस. संरचना को अपनाया एवं राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अपने उन कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति निर्धारित तिथि या उसके बाद हुई है के लिए एन.पी.एस. को अनिवार्य कर दिया है

प्रश्न –4: पुरानी पेंशन प्रणाली से एन.पी.एस. किस प्रकार भिन्न है ?

उत्तरः भारत सरकार की पुरानी पेंशन योजना जिसे निश्चित लाभ पेंशन प्रणाली (डीबीपीएस) के तौर पर जाना जाता है, कर्मचारी द्वारा लिए गये अंतिम वेतन पर आधारित है।

एन.पी.एस. को परिभाषित अशदान पेंशन प्रणाली के तौर पर जाना जाता है जिसमें पेंशन राशि के निर्माण के लिए नियोजक एवं कर्मचारी दोनों अंशदान करते हैं और जिसका भुगतान दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिकी/एकमुश्त आहरण के रूप में किया जाता है।

प्रश्न–5: प्रान क्या है ?

उत्तरः प्रान, स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या का संक्षिप्त रूप है। यह एक विशिष्ट एवं स्थानांतरणीय खाता संख्या है जो एन.पी.एस. के अंतर्गत सभी अभिदाताओं को प्रदान किया जाता है और जो हमेशा उनके पास रहता है।

प्रश्न–6: क्या एन.पी.एस. खाता खोलने के लिए बैंक विवरण अनिवार्य है ?

उत्तरः हाँ! अभिदाताओं के लिए बैंक विवरण अनिवार्य है। यदि प्रपत्र भरते समय बैंक विवरण उपलब्ध न हो तो अभिदाता छः माह के भीतर, बैंक विवरण

का शपथ पत्र अथवा बैंक खाता खुलने की जानकारी जो भी पहले हो, दे सकते हैं।

प्रश्न–7 कर्मचारी जिनकी मृत्यु हो चुकी हो अथवा संगठन छोड़ चुके हैं, उनके लिए भी क्या प्रान कार्ड जारी किया जा सकता है?

उत्तरः एन.पी.एस. के अंतर्गत अभिदाताओं के अतीत से संबंधित पंजीकरण की अनुमति नहीं है।

प्रश्न–8ः क्या अभिदाता, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर, केन्द्र से राज्य सरकार अथवा निजी क्षेत्र से सरकारी क्षेत्र में स्थानांतरित होने पर भी उसी प्रान का प्रयोग कर सकते हैं ?

उत्तरः चूंकि प्रान एक अद्वितीय खाता है और रोजगार एवं स्थान में परिवर्तन होने पर इसका परिचालन किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो इंटर सेक्टर शिफिटिंग (आईएसएस) भरने के बाद को मौजूदा नियोक्ता द्वारा एनपीएस अंशदान का स्थानांतरण पूर्व नियोक्ता द्वारा आबंटित प्रान में किया जा सकता है।

प्रश्न–9ः क्या अभिदाता एक से अधिक प्रान का प्रयोग कर सकते हैं ?

उत्तरः नहीं, एक व्यक्ति को केवल एक ही प्रान रखने की अनुमति है जो विशिष्ट और स्थायी है साथ ही रोजगार और स्थान में परिवर्तन होने के बाद परिचालन योग्य है।

प्रश्न–10: नामिती कौन हो सकता है एवं प्रपत्र में किस प्रकार की जानकारी दी जाती है?

उत्तरः केवल किसी व्यक्ति को ही नामिति बनाया जा सकता है अभिदाता अधितकतम तीन नामितियों को नामित कर सकते हैं और नामिती का विवरण एक से अधिक बार नहीं भरा जा सकता। नामितिकरण में आंशिक और खण्डित मात्रा स्वीकार नहीं की जाती। सभी नामितियों में मध्य नामांकन प्रतिशत का योग 100 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए। यदि समग्र नामांकन का कुल योग प्रतिशत 100 के बराबर नहीं है, तो समस्त नामांकन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि नामिती अवयस्क है, तो नामिती की जन्म तिथि एवं अभिभावक का विवरण देना अनिवार्य होगा। जब तक प्रपत्र में सारे विवरण पूर्णतया भरे नहीं जाते, तब तक नामिती के विवरण का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। अभिदाता नामांकन के लिए एस–1 प्रपत्र में उपलब्ध निर्देशों की सहायता ले सकते हैं।

प्रश्न–11: आई.आर.ए. का अनुपालन क्या है ? आई आर ए के अनुपालन के क्या लाभ हैं?

उत्तरः जिन अभिदाताओं ने एस–1 प्रपत्र जमा कर दिया है एवं जिनका पता, फोटो एवं हस्ताक्षर (अर्थात् पूर्ण केवाईसी विवरण) सी.आर.ए. प्रणाली में उपलब्ध हैं उनके लिए आईआरए का अनुपालन आवश्यक है

आई.आर.ए. अनुपालक अभिदाता को सुविधा एवं लाभः–

1. आई.आर.ए. अनुपालक सभी अभिदाताओं को प्रान जारी किया जाता है
2. अभिदाता आई पिन का उपयोग कर अपने खाते में बकाया राशि की जांच ऑन लाईन, सकते हैं।
3. आई–पिन का उपयोग करके अभिदाता किसी भी संस्था के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते है।
4. अभिदाता टी–पिन का उपयोग कर सी.आर.ए. के टोल फ्री सहायता नम्बर पर संपर्क कर सकते हैं

5. टीयर–।। खाता खुलवाने के लिए किसी प्रकार के पहचान व पते के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
6. ऑन लाईन ई–मेल अलर्ट, एस.एम.एस. अलर्ट जैसी मूल्य वर्द्धित सेवाएँ

प्रश्न–12: प्रान के ऑकड़ों में परिवर्तन होने पर हमें क्या करना चाहिए?

उत्तरः अभिदाता परिवर्तन अनुरोध (प्रपत्र एस–2) संबंधित कार्यालय में जमा कर करवाकर अपने विवरण सी.आर.ए. प्रणाली में टीयर–1 खाते में अपने विवरण अद्यतन कर सकते हैं।

प्रश्न–13: एन.पी.एस. के अन्तर्गत राजकोषीय एवं खाता निदेशालय (एस. जी. के लिए) के प्रधान खाता कार्यालय (सी.जी. के लिए) की क्या भूमिका है ?

उत्तरः एन.पी.एस. निगरानी प्रणाली में राजकोषीय एवं खाता निदेशालय (डी. टी.ए.)/ प्रधान खाता कार्यालय (पी.आर.ए.ओ.) निरीक्षण प्राधिकरण के रूप में काम करते हैं। एन.पी.एस. के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुसार, पी.आर.ए.ओ./डी.टी.ए. विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिसमें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत पंजीकृत नोडल कार्यालयों की निगरानी का कार्य भी शामिल है। पी.आर.ए.ओ./डी.टी.ए. के द्वारा किये जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

1. पी.ए.ओ./डी.टी.ओ./नोडल कार्यालय के पंजीकरण प्रपत्र संघटित कर पंजीकरण के लिए सी.आर.ए. को भेजना
2. सी.आर.ए. प्रणाली में पी.ए.ओ./डी.डी.ओ./डी.टी.ओ./नोडल कार्यालयों द्वारा किए गये कार्यों की निगरानी करना
3. पी.ए.ओ./डी.डी.ओ./डी.टी.ओ./नोडल कार्यालय के खिलाफ शिकायतों के समाधान की निगरानी करना

4. सी.आर.ए. प्रणाली में परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप पी.ए.ओ./डी.डी.ओ./डी.टी.ओ. के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना।

प्रश्न–14: क्या केन्द्रीय स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं?

उत्तरः हाँ, केन्द्र सरकार की सेवाओं में 1/1/2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिए एनपीएस की शुरूआत संबंधी भारत सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय के (ज्ञापन सं0 1(13)EV/2001) द्वारा दिनांक 13/11/2003 को यह निर्णय लिया गया कि सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधीन स्वशासी संस्थओं में नियुक्त कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 01/01/2004 या उसके बाद विभिन्न हुई है, वे भी एन.पी.एस. में शामिल हो सकेंगे।

प्रश्न–15: केन्द्रीय स्वशासी संस्थाएं किस प्रकार एन.पी.एस. में शामिल हो सकती हैं।

उत्तरः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने (कार्यालय ज्ञापन सं0 1(13)/EV/2008 दिनांक 30/1/2009) सभी केन्द्रीय स्वशासी संस्थाओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों के माध्यम से एन.पी.एस. के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वाहन संबंधी संकल्प को इंगित करते हुए सहमति पत्र जमा कराने का परामर्श दिया है।

प्रश्न–16: क्या स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन निधि से परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में संव्यवहार की अनुमति है ? जिन कर्मचारियों की नियुक्ति 01/01/2004 से पहले हुई है सी.पी.एफ. से एन.पी.एस. में संव्यवाहर की लागू तिथि क्या होगी? इस योजना की मुख्य विशेषताएँ क्या है ?

उत्तरः हाँ, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं0 1(2)/EV/2007 दिनांक 30/6/2009 के द्वारा संगठनों के वे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 01/01/2004 से पहले हुई है उन्हें एन.पी.एस. में स्थानांतरण की अनुमति दी गई है। संबंधित कर्मचारियों द्वारा जिस तिथि उक्त विकल्पों को संसाधित किया जाएगा वही तिथी, लागू तिथि मानी जाएगी।

परिचालन विशेषताओं से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी निम्न है :–

1. सी.पी.एफ. की मौजूदा निधि (कर्मचारी एवं नियोजक दोनो की) एन.पी. एस. के अंतर्गत न्यास निधि खाते में की जाएगी।
2. सी.पी.एफ. से एन.पी.एस. में संव्यवहार स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए स्वशासी संस्था उन प्रत्येक कर्मचारियों के लिए नियोजक द्वारा किये जाने वाले अंशदान का 10 प्रतिशत का अतिरिक्त अनुग्रह भुगतान करेगी जो एनपीएस में शामिल होना चाहते हैं।
3. कर्मचारी द्वारा 10 प्रतिशत (मूल एवं महंगाई भत्ता) किये जाने वाला अंशदान और स्वाशासी संस्थाओं द्वारा उसी बराबर किया अंशदान भुगतान योग्य होगा।
4. जिस महीने से संगठन/कर्मचारी नियोजक एनपीएस में शामिल होते हैं उसी महीने से नियोजक द्वारा किया गया अंशदान भुगतान योग्य होगा जो मूल एवं महॅगाई भत्ते के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

प्रश्न–17: क्या राज्य की स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारी एनपीएस में शामिल हो सकते हैं

उत्तरः विभिन्न राज्य सरकारों ने एनपीएस संरचना को अपना है और राज्य सरकार के साथ–साथ स्वशासी संस्थाओं, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों और बोर्डों के कर्मचारियों के लिए, (यदि उनकी राजपत्रित अधिसूचना में अधिसूचित है) एनपीएस को लागू किया है।

प्रश्न–18: क्या अखिल भारतीय सेवा के वे सभी सदस्य एनपीएस में शामिल हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति 01/01/2004 को अथवा उसके बाद हुई है ?

उत्तरः हाँ। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी 25014/14/2011–AIS II दिनांक 8/9/2009 के अनुसार 1 जनवरी 2004 को और उसके बाद अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल होने वाले सभी सदस्यों के लिए एनपीएस में भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है।